न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 237 / 2021

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. वेदाराम पुत्र विशनाराम 2. कुम्भाराम पुत्र हमीराराम 3. पोकरराम पुत्र हमीराराम 4. शैतानराम पुत्र हमीराराम 5. छताराम पुत्र गजाराम वगैराह कुल 23 अपीलान्टस निवासी– श्रीराम नगर, ओसियॉ, जोधपुर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ओसियॉ, जिला जोधपुर 2. उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश क्रमांक कोर्ट / 2021 / 310 दिनांक 12.11.2021 उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ के द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री ए.आर. बेनीवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः दिसम्बर, 2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा पारित आदेश क्रमांक कोर्ट / 2021 / 310 दिनांक 12.11.2021 के विरूद्व यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्टस के अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्टगण के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अपीलान्टगण की खातेदारी का एक खेत खसरा संख्या 1820 रकबा 33.9045 हैक्टर व खसरा नम्बर 1773 रकबा 31.4440 हैक्टर ग्राम श्रीराम नगर आये हुए है। उक्त विवादित खसरान भूमि में आज से पूर्व किसी भी प्रकार का कोई कदीमी रास्ता नहीं चलता था और न ही वर्तमान में है और न ही किसी प्रकार की कोई आवश्यकता रही है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी आधार के ही अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए खसरा भूमि में से 2.14 बीघा को राजस्व रेकर्ड

में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश क्रमांक कोर्ट/2021/301 दिनांक 18.11.2021 को जारी किये गये है, जो निरस्त करने योग्य है।

3. अपीलान्टस अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 में ग्राम श्रीरामनगर में अभियान था और दिन आदेश पारित नहीं करके अन्य ग्राम में अभियान था, ऐसे में आलौच्य आदेश उक्त अभियान के दिशा–निर्देशों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा आलौच्य आदेश पारित करते समय एक खातेदार कुम्भाराम का आज से लगभग 7–8 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका था जिसको पक्षकार बनाकर आदेश पारित कर दिया जो मृतक व्यक्ति के विरूद्ध दिया गया है वो त्रुटिपूर्ण आदेश है।

4. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस अभियान में खातेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उनकी खातेदारी भूमि में से रास्ता दर्ज करने के आलौच्य आदेश पारित किये गये है जिससे अपीलान्टस व्यथित पक्षकार है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा हम खातेदारान की उपस्थिती में उनकी सहमति से मौके पर रास्ते की मौजूदगी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु मौका निरीक्षण करना चाहिये था तत्पश्चात ही यथोचित आदेश पारित करना चाहिये था।

5. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि नये रास्ते घोषित करने के मामलों में विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि मौके पर पूर्व में कोई चालू, सनातन, कदीमी एवं स्थाई रास्ता है तो उस रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने से पूर्व नियमों के अधीन कार्यवाही निर्धारित करते हुए एवं प्रभावित खातेदार को उनकी खातेदारी भूमि लिये जाने से पूर्व उसकी जानकारी दिये जाने एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त ही आलौच्य प्रकार के आदेश जारी करने की कार्यवाही करनी चाहिये थी। अपीलाधीन आदेश अनाधिकारपूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है तथा अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावे।

6. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि वे आदेश में वर्णित ग्राम श्रीराम नगर खसरा संख्या 1820 रकबा 33.9045 हैक्टर व

खसरा नम्बर 1773 रकबा 31.4440 हैक्टर इत्यादि खसरान की रकबा भूमि में से रास्ता घोषित किये जाने राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा मृतक व्यक्ति कुम्भाराम के विरूद्ध भी अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है।

7. किसी खातेदार की खातेदारी भूमि को किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग आने पर यानि आवागमन के रास्ते के रूप में उपयोग आने पर उसे अधिकृत रूप से रास्ता घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा लठठा ट्रेस में उक्त प्रकार से तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत एवं काननून आवश्यक होता है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में प्रकरण में अंकित खसरान भूमि के सभी प्रभावित पक्षों की उपस्थिति तथा समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात उपरोक्त आब्जर्वेशन को मध्यनजर रखते हुए अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

8. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ को प्रतिप्रेषित किया जाता हैकि वे उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में वर्णित रकबा भूमि के सभी खातेदारान/ पक्षकारान को अपना–2 पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। साथ ही रिमाण्ड प्रकरण में अन्तिम निर्णय होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। निर्णय आज दिनांक दिसम्बर, 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर